



INDIAN PARLIAMENTARY GROUP

No. 47/1/2022/Con

18 April, 2023

From

**Kh. Ginlal Chung,
Deputy Secretary**

To

**All Members / Associate Members of
the Indian Parliamentary Group**

Subject: Outstanding Parliamentarian Award for the year 2022.

Madam / Sir,

I am directed to state that a Member of Parliament assessed as best for her / his performance during the year is conferred 'Outstanding Parliamentarian Award' every year, instituted by Indian Parliamentary Group. The list of Awardees as on date is enclosed (**Annexure – I**). An Award Committee will be constituted to consider the suggestions received from the Members of the Indian Parliamentary Group and to make recommendations thereto for the year 2022.

2. A copy of the Rules to confer "Annual Award for Outstanding Parliamentarian" is also enclosed (**Annexure – II**).
3. It is requested that you may, if you so wish, kindly suggest the name of a sitting member of Lok Sabha / Rajya Sabha for the year 2022 for the Award in the enclosed form for consideration of the Award Committee (**Annexure – III**).

.....2/-

4. Rule 8 for conferring the Annual Award for Outstanding Parliamentarian provides that the Award Committee shall, while making the selection and adjudicating the performance of the Member in the House and its Committees, give due consideration to the following:

- (i) Member's experience
- (ii) Debating skill
- (iii) Awareness of national and international issues
- (iv) The variety and the depth of the issues raised
- (v) The manner of presentation
- (vi) Proficiency in language
- (vii) Contribution in the International Parliamentary fora
- (viii) Observance of the Rules of Procedure, maintenance of dignity and decorum of the House; and
- (ix) Contribution in various Parliamentary Committees.

5. It would be appreciated if a brief statement indicating the precise considerations for which the member proposed merits this Award is also annexed to the nomination form. It is also requested that the names of members figuring in the list of Awardees (**Annexure-I**) may not be proposed in the nomination Form to avoid rejection.

6. The nominations may be sent in a sealed cover marked 'CONFIDENTIAL' and superscribing "Award for Outstanding Parliamentarian" to the Secretary-General, Lok Sabha, Room No. 18, Parliament House, New Delhi **latest by 12 May, 2023**. It will not be possible for the Committee to consider the names received after this date.

Yours faithfully,



DEPUTY SECRETARY
PHONE: 23034340
email: conf@sansad.nic.in

OUTSTANDING PARLIAMENTARIAN AWARD**LIST OF AWARDEES**

Sl.No.	Name of Awardee	Year
1.	Shri Chandra Shekhar	1995
2.	Shri Somnath Chatterjee	1996
3.	Shri Pranab Mukherjee	1997
4.	Shri S. Jaipal Reddy	1998
5.	Shri L.K. Advani	1999
6.	Shri Arjun Singh	2000
7.	Shri Jaswant Singh	2001
8.	Dr. Manmohan Singh	2002
9.	Shri Sharad Pawar	2003
10.	Smt. Sushma Swaraj	2004
11.	Shri P. Chidambaram	2005
12.	Shri Mani Shankar Aiyar	2006
13.	Shri Priya Ranjan Dasmunshi	2007
14.	Shri Mohan Singh	2008
15.	Dr. Murli Manohar Joshi	2009
16.	Shri Arun Jaitley	2010
17.	Dr. Karan Singh	2011
18.	Shri Sharad Yadav	2012
19.	Dr. (Smt.) Najma A. Heptulla	2013
20.	Shri Hukmdev Narayan Yadav	2014
21.	Shri Ghulam Nabi Azad	2015
22.	Shri Dinesh Trivedi	2016
23.	Shri Bhartruhari Mahtab	2017

**RULES TO CONFER "ANNUAL AWARD FOR
OUTSTANDING PARLIAMENTARIAN"**

The Award

1. An "Award for Outstanding Parliamentarian" shall be given annually by the Indian Parliamentary Group.
2. The Award shall comprise a citation and a suitable silver replica of Parliament House.
3. The Award shall be given to the most Outstanding Parliamentarian who will be selected by an Award Committee. If the Award Committee chooses not to give an Award in a particular year, they may recommend accordingly.
4. The Award may be announced well before the Annual General Meeting of the Indian Parliamentary Group and presented at the meeting.

Eligibility

5. A member from either House of Parliament shall be eligible to receive the award. However, a member who has received the award once, shall not be considered for the award in the subsequent years.

The Award
Committee

6. The Executive Committee of the Indian Parliamentary Group shall constitute an Award Committee which shall consist of the following:-

- (i) Speaker or Former Speaker, Lok Sabha;
- (ii) Deputy Chairperson or Former Deputy Chairperson, Rajya Sabha;
- (iii) A Senior Parliamentarian from each of the two Houses of Parliament; and
- (iv) A Senior Journalist

The recommendation of the Award Committee shall be placed before the Executive Committee of the Indian Parliamentary Group for formal acceptance.

Chairman of
the Committee

7. The Chairman of the Award Committee shall be appointed by the President of the Indian Parliamentary Group from amongst the Members of the Committee. However, if the Speaker, Lok Sabha happens to be the Member of the Award Committee, he will be the Chairman of that Committee.

8. The Award Committee shall, while making the selection and adjudicating the performance of the Member in the House and its Committee give due consideration to the following :-

- (i) Member's experience;
- (ii) Debating skill;
- (iii) Awareness of national and international issues;
- (iv) The variety and the depth of the issues raised;
- (v) The manner of presentation;
- (vi) Proficiency in language;
- (vii) Contribution in the international Parliamentary fora;
- (viii) Observance of the Rules of Procedure, maintenance of dignity and decorum of the House; and
- (ix) Contribution in various Parliamentary Committees.

Nomination

9. Nominations received from the Members of IPG for the Award shall be considered by the Award Committee and the Committee may select one of the names so proposed. The Committee shall, however, be free to choose on its own any other Member of Parliament for the Award.

10. Members of IPG may be requested through a circular for nominations before a prescribed date.

11. In case of any doubt about the interpretation of any of the above provisions, the decision of the President of the Indian Parliamentary Group shall be final and binding.

**NOMINATION FORM FOR THE OUTSTANDING
PARLIAMENTARIAN AWARD**

To

Secretary-General, Lok Sabha
and Secretary-General,
Indian Parliamentary Group
18, Parliament House,
New Delhi.

Sir,

I propose the name of **Shri/Smt./Km.** _____

Member, Lok Sabha / Rajya Sabha _____

(Constituency / State) for the Outstanding Parliamentarian Award for the
year 2022.

A brief resume giving the achievements / contributions of the members are
enclosed.

Yours sincerely,

Name of Member _____
(in Capital Letters)

MP (LS / RS) / Ex-MP)

Division / IC No. _____

Place:

Date:



INDIAN PARLIAMENTARY GROUP

सं. 47/1/2022/कांफ्रेंस

18 अप्रैल, 2023

प्रेषक

केएच. गिनलाल चुंग
उप सचिव

प्रेषिती

भारतीय संसदीय समूह के सभी सदस्य/ सहयोगी सदस्य

विषय: वर्ष 2022 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार।

महोदया / महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि किसी संसद सदस्य को उनके द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किये गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष भारतीय संसदीय समूह द्वारा स्थापित उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आज की तिथि के अनुसार पुरस्कार विजेताओं की सूची संलग्न है (अनुलग्नक-एक)। भारतीय संसदीय समूह के सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने और वर्ष 2022 के लिए उस पर अनुशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार समिति का गठन किया जाएगा।

2. "उत्कृष्ट सांसद के लिए वार्षिक पुरस्कार" प्रदान करने के लिए नियमों की एक प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न की गयी है (अनुलग्नक-दो)।

3. आपसे अनुरोध है कि यदि आप चाहें तो वर्ष 2022 के पुरस्कार के लिए लोकसभा/राज्य सभा के वर्तमान सदस्य के नाम का प्रस्ताव पुरस्कार समिति के विचारार्थ संलग्न प्रपत्र में दे सकते हैं (अनुलग्नक-तीन)।


4. उत्कृष्ट सांसद वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए नियम 8 में प्रावधान है कि पुरस्कार समिति, सदन और उसकी समितियों में सदस्य के कार्य का चयन और निर्णय करते समय, निम्नलिखित पर उचित ध्यान देगी:

- एक. सदस्य का अनुभव
- दो. वाद-विवाद कौशल
- तीन. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जागरूकता
- चार. उठाए गए मुद्दों की विविधता और गहराई
- पाँच. प्रस्तुतिकरण
- छः. भाषा में प्रवीणता
- सात. अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंचों में योगदान
- आठ. प्रक्रिया के नियमों का पालन, सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना; तथा
- नौ. विभिन्न संसदीय समितियों में योगदान।

5. यह अत्यंत सराहनीय होगा यदि पुरस्कार के लिये प्रस्तावित सदस्य की योग्यता का एक संक्षिप्त विवरण भी नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि अस्वीकृति से बचने के लिए पुरस्कार विजेताओं की सूची (अनुलग्नक-एक) में शामिल सदस्यों के नाम नामांकन प्रपत्र में प्रस्तावित न किए जाएं।

6. नामांकन एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर "गोपनीय" और "उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार" अंकित हो, 12 मई, 2023 तक महासचिव, लोकसभा, कमरा नंबर 18, संसद भवन, नई दिल्ली में भेजे जा सकते हैं। इस तिथि के बाद प्राप्त नामों पर विचार करना समिति के लिए संभव नहीं होगा।

भवदीय,



उप सचिव 18/5/23

दूरभाष : 23034340

ईमेल: [conf :@sansad.nic.in](mailto:conf:@sansad.nic.in)

पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची

क्र.सं.	पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम	वर्ष
1.	श्री चंद्र शेखर	1995
2.	श्री सोमनाथ चटर्जी	1996
3.	श्री प्रणब मुखर्जी	1997
4.	श्री एस. जयपाल रेड्डी	1998
5.	श्री लालकृष्ण आडवाणी	1999
6.	श्री अर्जुन सिंह	2000
7.	श्री जसवंत सिंह	2001
8.	डॉ मनमोहन सिंह	2002
9.	श्री शरद पवार	2003
10.	श्रीमती सुषमा स्वराज	2004
11.	श्री पी .चिदम्बरम	2005
12.	श्री मणिशंकर अय्यर	2006
13.	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	2007
14.	श्री मोहन सिंह	2008
15.	डॉ .मुरली मनोहर जोशी	2009
16.	श्री अरुण जेटली	2010
17.	डॉ .कर्ण सिंह	2011
18.	श्री शरद यादव	2012
19.	डॉ. (श्रीमती) नजमा ए .हेपतुल्ला	2013
20.	श्री हुकमदेव नारायण यादव	2014
21.	श्री गुलाम नबी आज़ाद	2015
22.	श्री दिनेश त्रिवेदी	2016
23.	श्री भर्तृहरि महताब	2017

उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार देने के लिए नियमावली

पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> 1. 'उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार' प्रतिवर्ष भारतीय संसदीय ग्रुप द्वारा प्रदान किया जाएगा 2. इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और संसद भवन की समुचित रजत अनुकृति शामिल होगी। 3. यह पुरस्कार उत्कृष्ट सांसद को दिया जाएगा जिसका चयन पुरस्कार समिति द्वारा किया जाएगा। यदि पुरस्कार समिति किसी वर्ष विशेष के लिए किसी को भी पुरस्कार न देने का चुनाव करती है तो वह तदनुसार सिफारिश कर सकेगी। 4. पुरस्कार की घोषणा भारतीय संसदीय ग्रुप की वार्षिक आम बैठक से काफी पहले की जाएगी और इसे बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
अर्हता	<ol style="list-style-type: none"> 5. संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए अर्ह होगा। तथापि सदस्य, जिसे एक बार यह पुरस्कार मिल गया है, उसके नाम पर परिवर्ती वर्षों में पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
पुरस्कार समिति	<ol style="list-style-type: none"> 6. भारतीय संसदीय ग्रुप की कार्यकारी समिति के पुरस्कार समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: <ol style="list-style-type: none"> (i) लोक सभा के वर्तमान अथवा निवर्तमान अध्यक्ष; (ii) राज्यसभा के वर्तमान अथवा निवर्तमान उपसभापति; (iii) संसद के दोनों सदनों से एक एक वरिष्ठ सांसद; और (iv) एक वरिष्ठ पत्रकार <p>पुरस्कार समिति की सिफारिश को भारतीय संसदीय ग्रुप की कार्यकारी समिति के समक्ष औपचारिक स्वीकृति के लिए रखा जाएगा</p>
समिति का अध्यक्ष	<ol style="list-style-type: none"> 7. पुरस्कार समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भारतीय संसदीय ग्रुप के अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाएगी। तथापि, यदि अध्यक्ष, लोक सभा पुरस्कार समिति के सदस्य हैं, तो वह उस समिति के अध्यक्ष होंगे। 8. पुरस्कार समिति सदस्य का चयन करते समय सदन और इसकी समिति में उसके कार्य निष्पादन का निर्णय करते हुए निम्नलिखित बातों पर समुचित रूप से विचार करेगी:- <ol style="list-style-type: none"> (i) सदस्य का अनुभव; (ii) वाद विवाद की कुशलता; (iii) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी; (iv) उठाए गए विषयों की विविधता और उनकी गंभीरता की समझ; (v) प्रस्तुतीकरण का तरीका; (vi) भाषागत निपुणता; (vii) अंतराष्ट्रीय संसदीय मंचों पर योगदान; (viii) सभा की प्रक्रिया नियमावली का अनुपालन और सभा की मर्यादा तथा शिष्टाचार को बनाए रखना; और (ix) विभिन्न संसदीय समितियों में योगदान;
नामांकन	<ol style="list-style-type: none"> 9. भारतीय संसदीय ग्रुप के सदस्यों से प्राप्त नामांकनों पर पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाएगा और यह समिति इस तरह प्रस्तावित नामों में से किसी एक नाम का चयन करेगी। तथापि, समिति इस पुरस्कार के लिए संसद के किसी अन्य सदस्य को स्वतः चुनने के लिए स्वतंत्र होगी। 10. विहित तिथि से पूर्व नामांकन करने के लिए भारतीय संसदीय ग्रुप के सदस्यों से एक परिपत्र के द्वारा अनुरोध किया जाएगा। 11. उपर्युक्त उपबंधों में से किसी के निर्वचन के बारे में किसी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में, भारतीय संसदीय ग्रुप के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार के लिए नामांकन प्रपत्र

प्रेषिती

महासचिव, लोकसभा
और महासचिव,
भारतीय संसदीय समूह
18, संसद भवन,
नई दिल्ली।

महोदय,

मैं वर्ष 2022 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार हेतु श्री /श्रीमती /सुश्री

_____ सदस्य, लोकसभा / राज्यसभा _____

(निर्वाचन क्षेत्र /राज्य) के नाम का प्रस्ताव करता हूँ।

सदस्यों की उपलब्धियों/योगदान का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

भवदीय,

सदस्य का नाम _____

(स्पष्ट अक्षरों में)

सांसद (लोक सभा/ राज्यसभा/पूर्व सांसद)

डिवीजन / आईसी नंबर _____

स्थान:

दिनांक: